दिनांक	कार्यवाही
16/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते आदेश U/S 212 R.T. Act दि. 23/12/25 को पेश हो
बनेसींग / दुर्गालाल	(हस्ताक्षर) 16/12/25
23/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08/01/26 को पेश हो।
	(हस्ताक्षर) 23/12/25
08/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वाद पत्र u/s 212 RTA r.w. O.39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ऐसे न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण को निर्णीत करने हेतु इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जांचना आवश्यक है :- (i) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- प्रार्थी० [illegible] है कि ग्राम राजपुरा खुर्द [illegible] प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी [illegible] पैतृक संपत्ति है जबकि अप्रा० अप्रार्थीगण का कथन है कि पैतृक संपत्ति नहीं है। पूर्वजों पुरखे पीढ़ी से अविभाजित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम व तारीख हुक्म व हुक्म में ज	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 2.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	रूप मे प्राप्त नही हुई है। पहले ही बटवारा होकर अलग - अलग खाते दर्ज हो चुकी है। आगे तर्क किया कि पैतृक आराजी नही होने से अप्रार्थी 1 (पिता) के जीवनकाल मे पुत्रो का कोई हक व अधिकार नही बनता है। प्रार्थीगण का कोई नोशनल शेयर नही बनता है। आगे अप्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी 1 द्वारा किये गये रजि० बैचान पत्र दिनांक 11/09/2025 को किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है और आज तक खारिज भी नही किया है। अप्रार्थी 1 ने अपनी कुल 24 बीघा भूमि से से केवल हिस्सा 1/4 (6 बीघा) का ही बैचान किया है। अप्रार्थी 1 के 03 पुत्र है। प्रार्थीगण ने भी हिस्सा 1/4 बैचान करना स्वीकार किया है। आगे० प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी धीसीबाई से विरासत से और पुत्र मांगीलाल को शामलाती रूप से और मांगीलाल से विरासत मे उनके पुत्रो को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई थी, जिसमे अप्रार्थी 1 भी एक पुत्र है। आगे तर्क किया कि अप्रार्थी 1 के 03 पुत्र एवं 02 पुत्रियां है अतः प्रत्येक का Notional S[illegible] 1/6 होगा जबकि अप्रार्थी [illegible] 1/6 से ज्यादा यानी 1/4 हिस्से का बैचान किया [illegible] अप्रार्थी 1 ने अपनी 24 बीघा भूमि को विगत 15-20 वर्षो से तीनो पुत्रो को मौके पर 1/3-1/3 संभला रखी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 3.	नम्बर अहकाम हुक्म में

है। केवल 1-2 बीघा भूमि स्वयं के पास रखी है। आगे तर्क किया कि रजि० बेचान दिनांक 11/9/2025 bogus sale है और कोई प्रतिफल नहीं लिया है। इस 5 बीघा भूमि की मार्केट मूल्य तो 50 लाख है लेकिन अप्रार्थी 1 ने मात्र 1.90 लाख में ही बेचान दिखाया है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।

बहस उभय पक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम राजपुरा हल्का गाडिया के नामा० सं० 8 दिनांक 15/08/1977 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कित्ता 03 रकबा 11-02 बीघा भूमि धीसीबाई बेवा धूलीलाल गुर्जर के खाते की आराजी थी और Hindu Succession Act 1956 की धारा 14 के अनुसार किसी हिंदू महिला की संपत्ति उसकी absolute property होती है। धीसीबाई के फौत होने पर ग्राम पंचायत गाडिया द्वारा फौती नामा० सं० 8 में लिखा है कि मांगीलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/3 अपने नाम नहीं करवाना चाहता है। उसके 04 पुत्रों देवीलाल, फूलजी, काशीराम, रोडजी पिसरान मांगीलाल हिस्सा 1/3 के नाम नामान्तरण स्वीकृत के आदेश दिये गये थे अतः [illegible] आराजी धीसीबाई की absolute (यानी self acquired) property थी और इसी प्रकार सीधे ही काशीराम हिस्सा 1/12 दर्ज होने से 4th male generation से आना साबित नहीं होने से काशीराम की self-acquired property होती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	4.	

प्रार्थीगण द्वारा ग्राम राजपुराखुर्द की जमाबंदी संवत् 2049-52 के अनुसार आराजी ख० न० 7, 16, 20, 41, 43 व 47 किता 6 रकबा 34-01 बीघा भूमि मांगीलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/3, भंवरलाल के वारिसान हिस्सा 1/3 व मानसिंह के वारिसान हिस्सा 1/3 के सहखाते दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2053-56 व नामा० सं० 33 दिनांक 11/4/2000 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मांगीलाल के फौत होने पर विरासत मे काशीराम हिस्सा 1/12 दर्ज हुआ।

इसी प्रकार ग्राम राजपुरा खुर्द की अन्य आराजी की जमाबंदी संवत 2049-52 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख० न० 13, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 29, 44, 50, 46, 51, 53, 69, 88, 91, 103 किता 17 कुल रकबा 57-08 बीघा भूमि मांगीलाल पिता धूलीलाल गूजर के खाते दर्ज थी जो नामा० सं० 33 दिनांक 11/4/2000 फौती इंतकाल से काशीराम, देवीलाल, फूलबाई व रोड़ी जी पिसरान मांगीलाल के खाते दर्ज हुई थी अर्थात प्रार्थी 1 काशीराम का हिस्सा 1/4 दर्ज हुआ। उक्त आराजी किता 17 रकबा 57-08 बीघा अकेले मांगीलाल के खाते दर्ज थी, अन्य भाईयो भंवरलाल व मानसिंह का नाम दर्ज नहीं था। यदि मांगीलाल को यह आराजी अपने पिता धूलीलाल से विरासत (inheritance) मे मिली होती तो तीनो भाईयो की संयुक्त खातेदारी हिस्सा 1/3-1/3 दर्ज होनी चाहिए थी अर्थात यह संयुक्त हिन्दू परिवार (Joint Hindu family) की सहदायिकी संपत्ति (coparcenary property) नहीं है। Under the Mitakshara School of Hindu Law, coparcenary property, ancestral property shared among coparceners by birth from 4th male generations. इस मितक्षरा हिन्दू विधि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मे केवल एक male ही coparcener हो सकता है लेकिन 2005 मे Hindu Succession Act 1956 की धारा-6 मे संशोधन कर (female) daughter को भी coparcenery property का coparcener माना गया है। इस संशोधन से पूर्व तक पुत्री, Hindu joint family की member तो मानी जाती थी लेकिन coparcener नही मानी जाती थी।

A coparcener gets the rights to coparcenery property (ancestral property) from the moment he is born, his interest is equal to his father and the Karta (कर्ता) of the Hindu joint family can not alienate (sell or transfer or anyother way) in a way that denies him from the Hindu joint family property.

A coparcener has the right to ask for partition without the father's consent. A coparcener can not trasfer the property in favour of one coparcener but has to renounce the property so that it can be equally divided among the remaining coparceners.

अतः स्पष्ट है कि "Senior most male member with lineal male descendants (an ancestor through his sons, grandsons, great-grandsons and so on) till 04th generations including him will form a coparcenary." वादग्रस्त भूमि किता 17 रकबा 57-08 बीघा भूमि Senior most male Khate[illegible] से केवल विरासत मे अप्रार्थी [illegible] अन्य वारिसान (3) के खाते [illegible] केवल एक पीढ़ी (one generation) मे विरासत मे शामलाती रूप मे नामा० स० 33 से अन्तरण हुई है इसके बाद यह संयुक्त परिवार की भूमि का सहमति से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 6.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
बटवारा होकर पर्चे नामान्तरण सं० 35 दिनांक 27/5/2000 पृथक - पृथक खाते दर्ज हो गई थी अर्थात वादग्रस्त भूमि Hindu joint family की संयुक्त संपत्ति (joint property) नहीं होकर अप्रार्थी 1 काशीराम की पृथक व विभाजित (divided and separate property) संपत्ति है। अब यह प्रार्थी संयुक्त परिवार की अविभाजित (शामलाती) संपत्ति नहीं बची है। अतः वादग्रस्त आराजी काशीराम की inherited property तो है लेकिन Ancestral property नहीं है। इसी प्रकार ग्राम छिरापा की भूमि भी पैतृक संपत्ति साबित नहीं है। माननीय supreme court ने विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि "The property loses its ancestral character and become self-acquired property in cases where the ancestral property has been partitioned." Angadi chandranna v/s shankar (April 2025) मामले में the Hon'ble Supreme court ruled that "after a formal joint-family property partition, each share automatically becomes self acquired for the allottee, granting full freedom to sell, gift or transfer independently." उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर ग्राम रामपुरा ... की वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी 1 काशीराम की 4th male generations से undivided रूप में /	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

प्राप्त नहीं होने एवं वादग्रस्त आराजी का पर्चे नामा० सं० 35 दिनांक 27/5/2000 में विभाजित (partition) होकर पृथक-पृथक खाते दर्ज होने से ancestral property का character (गुण) समाप्त हो जाने तथा कि०03 रकबा 11-02 बीघा भूमि महिला धोली बाई से नामा० सं० 8 (धारा-14 absolute property of a female) से प्राप्त होने से [illegible] कालीराम की पैतृक संपत्ति साबित नहीं होती है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। वादग्रस्त भूमि inherited property तो है लेकिन ancestral property साबित नहीं है। विभाजित (partition) होकर अप्रार्थी 1 कालीराम के खाते वर्ष 2000 में पृथक (separte) दर्ज हो गई थी अतः अप्रार्थी 1 कालीराम को इसे sell or gift or transfer करने का पूर्ण अधिकार है अप्रार्थी 1 द्वारा अप्रार्थी 3 फूलबाई को किये गये रजि० [illegible] [illegible]/03/2025 को किसी सक्षम [illegible] तक खारिज भी नहीं [illegible] अप्रार्थी 1 एक बुजुर्ग व्यक्ति है और पत्रा० मेडिकल रिपोर्टों से वृद्धावस्था सम्बन्धी सामान्य बीमारियों से प्रभावित है। अपने भरण-पोषण, इलाज एवं उधार कर्ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 8.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
(ऋण) आदि को चुकाने आदि कार्यों के लिए अपने खाते की स्व-अर्जित संपत्ति का बेचान कर सकता है। उभय पक्ष के गवाहो एवं बहस के आधार पर यह भी जाहिर है कि, खातेदार अप्रार्थी 1 विगत 12-15 वर्षों से प्रार्थीगण के साथ निवास नहीं करता है और ना ही प्रार्थीगण भरण-पोषण, ईलाज व देखभाल कर रहे हैं। यहाँ यह जरूर स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थीगण, पिता अप्रार्थी 1 का स्वयं भरण-पोषण, ईलाज व देखभाल आदि करना नहीं चाहते है या अप्रार्थी 1 स्वयं इनसे देखभाल आदि कराना ही नहीं चाहता है। सम्भवतः अप्रार्थी 1, अप्रार्थी 2 व 3 के पास रहता है और वे ही कई वर्षों से भरण-पोषण व देखभाल कर रहे हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी 1 (पिता) के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना प्रतीत होता है। यह भी सही कि कर्तव्यों (duties) के बिना अधिकार (right) की मांग करना भी न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम रायपुरा की जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार अप्रार्थी 1 के खाते खाता सं. 7 किता 10 रकबा 4.2?4 हैक्टेयर एवं ग्राम झिरनिया मे खाता सं. 11 किता 4 रकबा 1.8211 हैक्टे [illegible] hact. भूमि दर्ज है। [illegible] संपत्ति होती भी, तो [illegible] Notional share 1/6 मानी 1.015 हैक्टे [illegible] होता और अप्रार्थी 1 ने करीब 1.28 हैक्टे भूमि का बेचान किया है जो करीब 1/5 भाग है।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थी 1 ने अपने जीवन काल (life-time) में उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवारा (मौखिक रूप से) कर 2/3 भाग पर प्रार्थीगण (1 व 2) को कब्जा सौंप दिया है। कानूनी रूप से, अप्रार्थी 1 की वादग्रस्त संपत्ति में इनके जीवित रहते हुऐ प्रार्थीगण व अप्रार्थी 2 को कोई हिस्सा या कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नही है। अभी भी अप्रार्थी 1 के खाते में (बेचान के बाद भी) करीब 4/5 भाग भूमि शेष है जो 2/3 भाग से अधिक है।

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन जारी करने से एक ओर अप्रार्थी 1 को स्वयं के खाते की भूमि के अधिकारों से वंचित करना होगा, वही दूसरी ओर क्रेता (purchaser) का नामान्तरण रोककर उसे भी संपत्ति के अधिकार से दूर करना होगा जिससे अप्रार्थीगण को अपेक्षाकृत अधिक नुकसान कारित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में सुविधा का संतुलन आंशिक रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं आंशिक रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में [illegible]

(स) अपूरणीय हानि:- [illegible] प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] साबित नही है लेकिन अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा० पत्र के पैरा नं 05 एवं विशेष कथन के पैरा नं० 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज 10	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मे स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान मे अप्रार्थी 1 के तीनो पुत्रो – प्रार्थी 1 व 2 एवं अप्रार्थी 2 का 1/3-1/3 भाग पर कब्जाकाश्त (मौके पर) है। अतः यदि अप्रार्थी 1 द्वारा आगे भी आधिकांश भाग का या सम्पूर्ण भाग का बैचान या दान आदि अंतरण किया जाता है तो प्रार्थी 1 व 2 को कब्जाकाश्त से बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल होना पड़ेगा जिससे क्षति कारित हो सकेगी। 2. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT r.w.O.39 R1&2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। रजि० बैचान दिनांक 11/09/2025 पर कोई स्थगन (stay order) आदेश नही होगा। अप्रार्थी 1 को इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा से तावैसलामूलवाद पाबंद किया जाता है कि वह शेष बची वादग्रस्त आराजी में से 03 बीघा से अधिक का further sale or gift नही करे। उपपंजीयक सुनेल, राजस्व रिकार्ड पर कोई स्थगन नोट अंकित नही करे। सुविधा or information के लिए उप पंजीयक कार्यालय के स्थगन रजिस्टर मे प्रविष्टि दर्ज कर सकते है, यदि आवश्यक हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2026.02.04 11:15:35 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Scanned with OKEN Scanner